

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं.-0755-2552899 ई-मेल [mpprd.finance@mp.gov.in](mailto:mpprd.finance@mp.gov.in)

क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2020-21/4938

भोपाल, दिनांक 28/04/2020

प्रति,

प्राचार्य,

पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र,

नौगांव (छतरपुर), मुलताई (बैतूल), शिवपुरी, राऊ(इन्दौर)

मध्यप्रदेश।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मांग संख्या-62 में पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु योजना क्रमांक-2468 अन्तर्गत प्रथम त्रैमास हेतु बजट आबंटन बाबत।

-00-

पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक/पं.रा./प्रशिक्षण/2020-21/4896-97, दिनांक 23.04.2020 से विभाग अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मजदूरी एवं कार्यालयीन व्यय की मदों का आवंटन जारी किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है।

तदनुसार स्वीकृति के तारतम्य में पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत प्राचार्य सचिव प्रशिक्षण केन्द्र के आहरण संवितरण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम त्रैमासिक व्यय के लिए संलग्न परिशिष्ट अनुसार संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं को उनके नाम के समक्ष अंकित मद अनुसार कुल राशि 344800/- (राशि-तीन लाख चवालीस हजार-आठ सौ मात्र) का आवंटन जारी किया जाता है।

उक्त व्यय मांग संख्या-62-शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-2468-पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था-9999 के उद्देश्य शीर्ष 11, 12 एवं 22 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

तदनुसार सौंपे गए आबंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-


- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।

निरंतर...

// 02 //

- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिर्वायतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का अनुमान का आकलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़-2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आवंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


संलग्न :- परिशिष्ट

  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2020-21/4939  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 28 /04/2020

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, पं0ग्रा0वि0 विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला(संबंधित) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-जिला संबंधित म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक/उप संचालक(प्रशिक्षण)पंचायत राज संचालनालय की ओर आपके क्रमांक/पं.रा./प्रशिक्षण/2020-21/4896-97, दिनांक 23.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. संबंधित, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ। सौंपे गये आवंटन के विरुद्ध बंटन आदेशानुसार व्यय सुनिश्चित करें।
9. निज सहायक, आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।

  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-62-(आयोजनेत्तर)-2515-योजना क्रमांक-2468-पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था में आवंटित राशि का विवरण

(राशि रुपये में)

क्र.	मद का नाम	बजट प्रावधान	उपलब्ध बजट	प्रथम त्रैमास हेतु जारी आवंटन संस्था का नाम - पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र				कुल आवंटित राशि
				मुलताई(बिठूल) 0302203001 आबंटित राशि	शिवपुरी 3902602002 आबंटित राशि	नौगांव(छतरपुर) 0602602003 आबंटित राशि	राऊ(इन्दौर) 1702203001 आबंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	# 11 009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	11200	2800	2800	2800	2800	11200
2	# 12 मजदूरी	0	320000	70000	90000	90000	70000	320000
3	# 22 001-डाक एवं तार व्यय	0	6400	1600	1600	1600	1600	6400
4	# 22 004-पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	0	1600	400	400	400	400	1600
5	# 22 006-बर्दिया	0	3200	800	800	800	800	3200
6	# 22 007-लेखन सामग्री एवं फार्म	0	1600	400	400	400	400	1600
7	# 22 008-अन्य आकस्मिक व्यय	0	800	200	200	200	200	800
	<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>344800</b>	<b>76200</b>	<b>96200</b>	<b>96200</b>	<b>76200</b>	<b>344800</b>

M. Pr. 28/04/20  
संयुक्त संचालक(वित्त)

पंचायत राज संचालनालय

म.प्र.भोपाल

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं. 0755-2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक /पं.रा./प्रशिक्षण/2020-21/4896

भोपाल, दिनांक 23 /04/2020

// आदेश //

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश में संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं को उनके नाम सम्मुख अंकित योजनाओं की संबंधित मदों में वेतन भत्तों एवं कार्यालयीन व्यय हेतु आवंटन उपलब्ध कराये जाने की निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:- (राशि रूपयें में)

स.क्र.	प्रशिक्षण संस्था का नाम	योजना/मद	राशि
<b>(1) यो.क्र.-4300-संजय गांधी युवा संस्थान पचमढी को अनुदान</b>			
1.	संचालक, संजय गाँधी युवा नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान पचमढी जिला होशंगाबाद	4300-संजय गांधी युवा संस्थान पचमढी को अनुदान	1000500
<b>(2) यो.क्र.-2468-पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण</b>			
1.	Principal PSTC Multai	11-009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2800
		12-000-मजदूरी	70000
		22-001-डाक एवं तार व्यय	1600
		22-004-पुस्तके एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	400
		22-006-वर्दिया	800
		22-007-लेखन सामग्री एवं फार्म	400
		22-008-अन्य आकस्मिक व्यय	200
<b>योग</b>			<b>76200</b>
2.	Principal PSTC Nowgaon	11-009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2800
		12-000-मजदूरी	90000
		22-001-डाक एवं तार व्यय	1600
		22-004-पुस्तके एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	400
		22-006-वर्दिया	800
		22-007-लेखन सामग्री एवं फार्म	400
		22-008-अन्य आकस्मिक व्यय	200
<b>योग</b>			<b>96200</b>

निरंतर...

// 02 //

(राशि रूपयें में)

स.क्र.	प्रशिक्षण संस्था का नाम	योजना/मद	राशि
3.	Principal PSTC Rau Indore	11-009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2800
		12-000-मजदूरी	70000
		22-001-डाक एवं तार व्यय	1600
		22-004-पुस्तके एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	400
		22-006-वर्दिया	800
		22-007-लेखन सामग्री एवं फार्म	400
		22-008-अन्य आकस्मिक व्यय	200
योग			76200
4.	Principal PSTC Shivpuri	11-009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2800
		12-000-मजदूरी	90000
		22-001-डाक एवं तार व्यय	1600
		22-004-पुस्तके एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	400
		22-006-वर्दिया	800
		22-007-लेखन सामग्री एवं फार्म	400
		22-008-अन्य आकस्मिक व्यय	200
योग			96200
कुल योग(राशि रूपये-तेरह लाख पैतालीस हजार तीन सौ मात्र)			1345300

उपरोक्तानुसार आवंटन संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं को जारी करे।

(बी.एस.जामोद)

संचालक

पंचायत राज संचालनालय

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक/पं.रा./प्रशिक्षण/2020-21/ 4897  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 23 / 04 / 2020

- कलेक्टर, जिला संबंधित की ओर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला संबंधित की ओर सूचनार्थ।
- संचालक, संजय गाँधी युवा नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान पचमढी जिला होशंगाबाद म.प्र./  
प्राचार्य, पी.एस.टी.सी.मुलताई(बैतूल)/प्राचार्य, पी.एस.टी.सी.शिवपुरी(शिवपुरी)/  
प्राचार्य, एस.टी.सी.नौगावा(छतरपुर)/प्राचार्य, पी.एस.टी.सी.राऊ(इन्दौर), म.प्र. की  
ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित हैं।
- संयुक्त संचालक(वित्त) पंचायत राज संचालनालय की ओर उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण  
संस्थाओं को संबंधित योजनान्तर्गत उल्लेखित मदों में आवंटन जारी किये जाने हेतु  
अग्रेषित हैं।

संचालक

पंचायत राज संचालनालय

म.प्र.भोपाल